

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, राँची – 834001**

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की  
अंतिम तिथि-24.03.2022

विज्ञापन संख्या-10/2022

**झारखण्ड राज्य के होम्योपैथिक चिकित्सक (मूल कोटि) के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा।**

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सक (मूल कोटि) के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्रांक-263(20) दिनांक-23.10.2021 द्वारा अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

क्र० सं०	पद का नाम	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ						क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण						
			अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व० (अनु०-I)	पि०व० (अनु०-II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	आदिम जनजाति	महिला	खेल कूट	दिव्यांग			(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	होम्योपैथिक चिकित्सक (मूल कोटि)	137	61	37	13	10	03	13	01	07	03	02	01	01	01

नोट:- (i). कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-5555 दिनांक-28.06.2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए संसूचित रिक्ति अनुसूचित जनजाति के संसूचित रिक्ति में से विनियमित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध रहेगा।  
(ii) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान - PB-II, रू० 9300-34800 ग्रेड वेतन रू० - 5400 (level-9)
3. पद - स्थायी
4. परीक्ष्यमान अवधि - 2 (दो) वर्ष
5. शैक्षणिक अर्हता :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एच०एम०एस० एवं समकक्ष डिग्री अनिवार्य होगी जो संबंधित केन्द्रीय परिषदों के अधिनियम 1970 एवं 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होना चाहिए।  
(ii) झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद् अथवा केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् से चिकित्सक के रूप में निबंधित होना अनिवार्य होगा।  
(iii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से इन्टर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक होगा।

6. उम्र सीमा

(a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 21 वर्ष।

(b) अधिकतम उम्र सीमा :- संकल्प संख्या-4(20) दिनांक-06.01.2021, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कोटि	सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	42	47 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा	44	49 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा)	45	50 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	47	52 वर्ष
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	42	47 वर्ष

नोट:-उम्र की गणना 01.08.2021 के आधार पर की जायेगी।

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:-झारखण्ड लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संसूचित रिक्तियों के आलोक में लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन कर अनुशंसा करेगा।

लिखित परीक्षा का स्वरूप :-

(a) लिखित परीक्षा :- यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होगी, जिसमें 100-100 अंको के निम्न 5 (पाँच) पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए 2 (दो) घण्टे का समय निर्धारित रहेगा।

प्रथम पत्र	अंक	कुल अंक
1) (क) शरीर विज्ञान (Anatomy)	30	100
(ख) शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology)	30	
(ग) फार्मसी (Pharmacy)	40	
द्वितीय पत्र		
2) (क) ऑरगेनन (Organon)	50	100
(ख) फॉरेंसिक मेडिसिन (Forensic Medicine)	50	
तृतीय पत्र		
3) (क) शल्य, आँख, कान, नाक एवं गला रोग (Surgery, Eye & E.N.T.)	40	100
(ख) प्रसूति तंत्र एवं बाल रोग (Gynaecology & Obstetrics)	40	
(ग) विकृति विज्ञान (Pathology)	20	
चतुर्थ पत्र		
4) (क) मटेरिया मेडिका (Materia Medica)	50	100
(ख) कम्युनिटी हेल्थ (Community Medicine)	50	
पंचम पत्र		
5) (क) रिपर्ट्री (Repertory)	50	100
(ख) प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन (Practice of Medicine)	50	
मौखिक परीक्षा	50	50

नोट:-संविदा पर कार्यरत वैसे आयुष चिकित्सक, जो नियमित रूप से 05 वर्षों से कार्यरत हैं। उन्हें आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में प्रतिवर्ष 02 अंक के रूप में अधिमानता लाभ एकबारगी व्यवस्था के तहत दिया जायेगा। अर्थात् 05 वर्षों तक संविदा के आधार पर नियमित रूप से कार्यरत पदधारकों को प्रति वर्ष 02 अंक अर्थात् अधिकतम कुल-10 अंक अधिमानता के रूप में देय होगा। संविदा पर कार्यरत वैसे आयुष चिकित्सक जो नियमित रूप से 05 वर्षों से कम समय से कार्यरत हैं उन्हें इसका लाभ देय नहीं होगा।



8. न्यूनतम अर्हतांक :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012, एवं ज्ञापांक-3928 दिनांक-11.08.2020 के अनुरूप लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् है :-

सामान्य वर्ग	40 %
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-1)	34 %
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 %
आदिम जनजाति	30 %
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40%

9. आरक्षण का लाभ :- आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा। जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

**I अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:-**

- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक-4258 दिनांक-30.05.2019 में दिए गए निर्देश के आलोक में पूर्व सक्षम प्राधिकार यथा अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।
- जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

**II अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-**

- झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में प्रमाण पत्र साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक-4258 दिनांक-30.05.2019 में दिए गए निर्देश के आलोक में पूर्व में सक्षम प्राधिकार यथा अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।
- जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

**III आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:-**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I) में साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।



नोट:—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-235 दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में, नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- विभिन्न सेवाओं एवं पदों में दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। आरक्षण के लाभ के लिए उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। संबंधित संकल्प एवं विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी -II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

10. (i) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:—**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- Impersonating, or
- Procuring impersonation by any person, or
- Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- Using unfair means during the test, or
- Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.



- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
- (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
- (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
- (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) **कदाचार के लिए कार्यवाही :-**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) **पूर्व के कदाचार का प्रभाव :-**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. **परीक्षा शुल्क :-**

- (a) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (b) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (c) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/-(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (d) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट अनुमान्य है।

12. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश:-**

- (a) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- (b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (c) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (d) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **E-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, E-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, E-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (e) इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।



- (f) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (g) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (h) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (i) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (j) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार **Online Application** में की गयी प्रविष्टि (**Entry**) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (k) ऑनलाइन (**Online**) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व **"How to apply"** (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के **Help Line No. +919431301636** पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-11.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (l) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित **Technical Help Line No.** पर कार्य दिवस में सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:- 1. +919431301636 2. +919431301419
- (m) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए **Payment Helpline No. - 9431301419** पर संपर्क किया जा सकता है।
- (n) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी **Online Application** में प्रविष्ट करेंगे।
- (o) **Online Application System** के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (p) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (q) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (**Spelling**) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।

- (r) जन्म तिथि—आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (s) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति कंडिका-12 (t) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित पठनीय प्रति आयोग कार्यालय के पते "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" पर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। **Hard Copy** लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-10/2022 तथा परीक्षा का नाम यथा—"होम्योपैथिक चिकित्सक (मूल कोटि) सीधी नियुक्ति परीक्षा" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- (t) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
- मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
  - इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
  - किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से बी0एच0एम0एस0 एवं समकक्ष डिग्री एवं अंक पत्र।
  - झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद् अथवा केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् से चिकित्सक के रूप में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
  - किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल से इन्टर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र।
  - जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  - मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
  - अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
  - संविदा में कार्यरत रहने संबंधी सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र (अवधि सहित) जहाँ लागू हो।
- (u) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-(t) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

### 13. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक-02.03.2022 से दिनांक-24.03.2022 संध्या 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) कंडिका-12(t) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा अंतिम तिथि-05.04.2022 के संध्या 05:00 बजे तक ही प्राप्त होगी।
- (ग) दिनांक-25.03.2022 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।